

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेषन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :— राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चौदहवीं बैठक, दिनांक 11.05.2011 का कार्यवाही विवरण।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 11.05.2011 को अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—

01. **एजेण्डा क्रमांक 1** :— समिति की तेरहवीं बैठक दिनांक 01.01.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
02. **एजेण्डा क्रमांक 2** :— सदस्य सचिव द्वारा समिति की तेरहवीं बैठक दिनांक 01.01.2011 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तेरहवीं बैठक में स्वीकृत क्लेम प्रकरणों में इकाईयों के पक्ष में स्वीकृत राशि का वितरण न हो पाने के सन्दर्भ में सदस्य—सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष के स्वीकृत क्लेम प्रकरणों में शेष देय राशि रु. 19,52,65,703.00 के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रथम त्रैमास हेतु, विभागीय बजट में राशि रु. 14.00 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, परन्तु वित्त विभाग की विशेष स्वीकृति न मिल पाने के कारण सहायता राशि द्रायफेक को प्राप्त नहीं हो सकी है जिसके कारण स्वीकृत प्रकरण वितरण हेतु लंबित हैं।
03. **एजेण्डा क्रमांक 3** :— उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलम्ब को षिथिल करने के संबंध में निर्णय एवं इकाईयों के उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन जारी करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए —
 - (I) **मेसर्स माइक्रोप्लेक्स (इण्डिया) ग्रोथ सेन्टर बोरगांव, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा** :— इकाई द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2004 के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु पंजीयन के लिये द्रायफेक में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इकाई का उत्पादन दिनांक 07.10.2010 है तथा योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 06.12.2010 को किया गया है, जो कि उद्योग नीति, 2004 की अवधि

के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2004 के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने के लिये उद्योग नीति 2004 की अवधि में उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक है तथा विलंबित आवेदनों में विलंब शिथिल करने के अधिकार राज्य स्तरीय समिति को प्रदत्त हैं। चूँकि इकाई द्वारा नीति की अवधि में उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है, अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त कम्पनी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विलंब शिथिल करते हुए पंजीयन प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि इकाई को योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा, परन्तु पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

- (II) मेसर्स आज्ञा आटो लिमिटेड, प्लॉट क्र. 51, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार :— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ—पत्र पर प्रस्तुत जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।
- (III) मेसर्स भोपाल स्विचगियर प्रा.लि. यूनिट-2ए प्लॉट नं. 4 ए, सेक्टर-बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल :— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ पत्र पर प्रस्तुत जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।
- (IV) मेसर्स ट्रेन्डस अपेरल्स प्रा.लि. 49—50 रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, परदेसी पुरा, इन्दौर :— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ पत्र पर प्रस्तुत जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

04. एजेण्डा क्रमांक 4:- मेसर्स खण्डवा आईल्स यूनिट-2, ग्राम सिल्टिया, पंडाना जिला—खण्डवा इकाई को ट्रायफेक द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2004 के अन्तर्गत विस्तारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयन से असहमति दर्शाते हुए नवीन इकाई मान्य कर पंजीयन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2011

पर समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई के अभ्यावेदन पर समुचित निर्णय लिये जाने के पूर्व इकाई द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का उचित स्तर से निरीक्षण कराये जाने की आवश्यकता है, ताकि इकाई का नवीन एवं पृथक स्वतंत्र अस्तित्व होने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सके। अतः समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खण्डवा के माध्यम से किया जाकर समस्त तथ्यों एवं पूर्ण जानकारी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

05. एजेण्डा क्रमांक 5 :- मेसर्स मैहर सीमेन्ट, मैहर जिला-सतना का वित्तीय वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तारित क्षमता अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.01.2007 है तथा इकाई द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तुत यह प्रथम क्लेम है जो कि दिनांक 01.01.2007 से 31.03.2007 (3 माह) की अवधि से सम्बन्धित है। इकाई द्वारा विस्तार परियोजनान्तर्गत स्थायी मदों में राशि रु. 10855.52 लाख का पूंजी निवेश किया गया है जिसमें कैपिटिव पॉवर प्लांट में हुआ निवेश रु. 5494.90 लाख भी शामिल है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचारोपरांत पाया गया कि इकाई द्वारा विस्तार परियोजना में किये गये पूंजी निवेश में कैपिटिव पॉवर प्लांट में किये गये पूंजी निवेश को सम्मिलित करने के संबंध में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के आदेश प्राप्त करना आवश्यक है, तत्पश्चात प्रकरण पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा, निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
06. एजेण्डा क्रमांक 6 :- मेसर्स एड-मेनम पैकेजिंग लिमिटेड, ग्राम सोनवाय तहसील महू जिला इन्दौर का वित्तीय वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तारित क्षमता अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.03.2005 है तथा इकाई की पात्रता अवधि 01.03.2005 से 28.02.2008 तक (3 वर्ष) है। इकाई द्वारा प्रस्तुत यह क्लेम अंतिम वर्ष के लिये है जिसकी अवधि 11 माह है। योजनान्तर्गत इकाई द्वारा स्थाई मदों में किये गये निवेश की राषि रूपये 6,71,49,181.00 है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा इकाई के पक्ष में विस्तार अन्तर्गत इकाई के मान्य योग्य उत्पादन 3328 मी.टन पर चुकाये गये कर रु. 1,24,54,511.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 62,27,255.00 की उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा विस्तार हेतु वर्ष 2007–08 की (01.04.2007 से 28.02.2008 तक) अवधि के लिये जारी कर पुष्टि आदेश में इकाई द्वारा

चुकाई गई कर राशि रु. 1,24,54,511.00 पर सहायता राशि रु. 62,27,255.00 की गणना की गई है जिसमें से आईटीआर राशि को कम नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता अन्तर्गत मान्य योग्य उत्पादन 3328 मी.टन पर चुकाये गये कर कुल रु.1,24,54,511.00 में से मशीनरी पार्ट्स के विक्रय पर चुकाया गया कर रु. 72,263.00 एवं समानुपातिक आधार पर गणना की गई आईटीआर राशि रु. 13,88,035.00, इस तरह कुल राशि रु. 14,60,271.00 कम करते हुए इकाई के पक्ष में रु. 1,09,94,213.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 54,97,106.00 (रूपये चौवन लाख सन्तानवे हजार एक सौ छः मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि स्वीकृत की गई।

07. एजेण्डा क्रमांक 7 :— मेसर्स प्लेटिनम सीमेंट्स प्रा.लि., ग्राम—गंगानगर, तिरला जिला धार का वित्तीय वर्ष 2009—10 का कलेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 27.03.2009 है। इकाई का प्रथम वर्ष 2008—09 का कलेम निरंक है, तथा प्रस्तुत यह कलेम द्वितीय वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता सुविधा की पात्रता दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 (5 वर्ष) तक रहेगी। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार द्वारा, इकाई के पक्ष में वर्ष 2009—10 की अवधि के लिये सीमेंट के 15358.15 मी.टन पर चुकाये गये कर रु. 55,44,709.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 27,72,354.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत, योजनान्तर्गत स्थायी मदों में इकाई द्वारा किया गया पूंजी निवेश रु. 402.64 लाख मान्य करते हुए, इकाई के पक्ष में वर्ष 2009—10 हेतु जमा कर राशि रु. 55,44,709.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 27,72,354.00 (रूपये सत्ताइस लाख बहत्तर हजार तीन सौ चौवन मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

08. एजेण्डा क्रमांक 8 :— मेसर्स सतरंग स्टील एण्ड एलॉयज प्रा.लि., प्लाट नं. 7, न्यू औद्योगिक क्षेत्र—2, मण्डीदीप, जिला रायसेन का वित्तीय वर्ष 2007—08 का कलेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का डायवर्सिफिकेशन के अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.02.2008 है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत यह कलेम प्रथम वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता सुविधा की पात्रता 01.02.2008 से 31.01.2013 तक (5 वर्ष) रहेगी। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार द्वारा वर्ष 2007—08 हेतु इकाई के पक्ष में डायवर्सिफाइड उत्पाद आयरन बार के 1758 मी.टन के विक्रय पर चुकाये गये कर रु. 18,54,943.00 का 50 अर्थात् रूपये 9,27,471.00 की उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने के कारणों को समाधानकारक एवं योजनान्तर्गत इकाई द्वारा स्थायी मदों में किया गया पूँजी निवेश रु. 502.20 लाख मान्य करते हुए समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु जमा वास्तविक कर राष्ट्रीय रूपये 15,01,845.00 का 50: अर्थात् रूपये 7,50,922.00 (रूपये सात लाख पचास हजार नौ सौ बाईस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

09. एजेण्डा क्रमांक 9 :— मेसर्स सतरंग स्टील एण्ड एलॉयज प्रा.लि., प्लाट नं. 7, न्यू औद्योगिक क्षेत्र-2, मण्डीदीप, जिला रायसेन का वित्तीय वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का डायर्सिफिकेशन के अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.02.2008 है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत यह क्लेम द्वितीय वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता सुविधा की पात्रता 01.02.2008 से 31.01.2013 तक (5 वर्ष) रहेगी। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धारा द्वारा, वर्ष 2008–09 में इकाई द्वारा डायर्सिफाइड उत्पाद आयरन बार के मान्य योग्य उत्पादन 10122 मी.टन पर जमा कर राष्ट्रीय रूपये 96,46,037.00 का 50: अर्थात् रूपये 48,23,018.00 की उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत, योजनान्तर्गत इकाई द्वारा स्थायी मदों में किया गया पूँजी निवेश रु. 502.20 लाख मान्य करते हुए, इकाई के पक्ष में वर्ष 2008–09 हेतु डायर्सिफाइड उत्पाद आयरन बार के विक्रय पर जमा कर राष्ट्रीय रूपये 96,46,037.00 का 50: अर्थात् रूपये 48,23,018.00 (रूपये अड़तालीस लाख तेर्हीस हजार अठारह मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

10. एजेण्डा क्रमांक 10 :— मेसर्स रमणीक पॉवर एण्ड एलायस प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नं. 1, सरण्डी, तहसील—वारासिवनी, जिला बालाघाट का वित्तीय वर्ष 2009–10 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.11.2009 है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत यह क्लेम प्रथम वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2019 (10 वर्ष) तक रहेगी। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालाघाट द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 में इकाई द्वारा किये गये फैरो मैग्नीज/सिलिको मैग्नीज के मान्य योग्य उत्पादन 2320 मी.टन के विक्रय पर चुकाये गये कुल कर रु. 23,65,004.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 17,73,753.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत, योजनान्तर्गत इकाई द्वारा स्थायी मदों में किया गया पूँजी निवेश रु. 2944.11 लाख मान्य करते हुए इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 में जमा कर

राषि रूपये 23,65,004.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 17,73,753.00 (रूपये सत्रह लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिरेपन मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

11. एजेण्डा क्रमांक 11 :- मेसर्स पोरवाल ऑटो कम्पोनेन्ट्स लि., 209, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर का वित्तीय वर्ष 2007-08 का कलेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तारित क्षमता अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 02.02.2008 है। इकाई द्वारा प्रस्तुत यह कलेम प्रथम वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 02.02.2008 से 01.02.2018 (10 वर्ष) तक रहेगी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2007-08 में विस्तारित क्षमता अन्तर्गत किये गये मान्य योग्य उत्पादन 1860 मी.टन पर कुल चुकाये गये कर रु. 22,04,178.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 16,53,134.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने के कारणों को समाधानकारक एवं योजनान्तर्गत इकाई द्वारा किया गया स्थायी पूँजी निवेश रु. 577.21 लाख मान्य करते हुए समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2007-08 हेतु जमा कर राषि रूपये 22,04,178.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 16,53,134.00 (रूपये सोलह लाख तिरेपन हजार एक सौ चौंतीस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

12. एजेण्डा क्रमांक 12 :- मेसर्स धानुका एक्सट्रेक्शन प्रा.लि., ग्राम जमुनिया कलां तहसील व जिला नीमच का वित्तीय वर्ष 2009-10 का कलेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 31.03.2009 है। इकाई का प्रथम कलेम निरंक था तथा प्रस्तुत यह कलेम द्वितीय वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता दिनांक 31.03.2009 से 30.03.2019 (10 वर्ष) तक रहेगी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009-10 में नवीन स्थापित इकाई द्वारा किये गये मान्य योग्य उत्पादन पर चुकाये गये कर कुल रु. 1,51,82,039.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,13,86,529.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई का योजनान्तर्गत स्थायी पूँजी निवेश रु. 1065.15 लाख मान्य करते हुए इकाई के पक्ष में वर्ष 2009-10 हेतु कर निर्धारण आदेश के आधार पर वास्तविक कर राशि रूपये 1,51,32,106.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,13,49,079.00 (रूपये एक करोड़ तेरह लाख उनन्यास हजार उन्यासी मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

13. एजेण्डा क्रमांक 13 :- मेसर्स रूचि स्ट्रिप्स एण्ड इलॉयस लिमिटेड, ग्राम सेजवाया तहसील एवं जिला धार का वित्तीय वर्ष 2009–10 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.06.2009 है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत यह क्लेम प्रथम वर्ष का है। इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता दिनांक 01.06.2009 से 31.05.2019 (10 वर्ष) तक रहेगी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार द्वारा इकाई के पक्ष में उसके द्वारा वर्ष 2009–10 में पंजीकृत उत्पादों के विस्तार अन्तर्गत मान्य योग्य उत्पादन 29286 मी.टन पर चुकाये गये कर कुल रु. 1,69,76,610.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,27,32,458.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों को समाधानकारक एवं योजनान्तर्गत स्थायी मदों में इकाई द्वारा किया गया पूंजी निवेश रु. 3000.56 लाख मान्य करते हुए समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु जमा कर राषि रूपये 1,69,76,610.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,27,32,458.00 (रूपये एक करोड़ सत्ताइस लाख बत्तीस हजार चार सौ अन्ठावन मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(पी.के. दाश)

प्रबंध संचालक

म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट

फेसिलिटेषन कार्पोरेशन लिमिटेड
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय
निवेश संवर्धन साधिकार समिति

(सत्यप्रकाष्ठ)

अपर मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय
निवेश संवर्धन साधिकार समिति

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चौदहवीं बैठक
दिनांक 11.05.2011 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, प्रबंध संचालक एम.पी. ट्रायफेक एवं एम.पी.एस.आई.डी.सी.
2	श्री विनोद सेमवाल	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
3	श्री शैलेन्द्र सिंह	आयुक्त, वाणिज्यिक कर
4	श्री सत्यानंद	अपर सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
अन्य उपस्थित अधिकारी :—		
5	श्री अजय चौबे	कार्यकारी संचालक, एम.पी. ट्रायफेक, भोपाल
6	श्री राधवेन्द्र दुबे	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर